आत्मनिर्भर भारत

भाग-5: सरकारी सुधार और सहायक उपाय

17.05.2020





'कोविड' की रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए स्वास्थ्य संबंधी कदम

पहले से ही घोषित -15,000 करोड़ रुपये

- राज्यों को जारी 4113 करोड़ रुपये
- आवश्यक वस्त्एं 3750 करोड़ रुपये
- परीक्षण प्रयोगशालाएं और किट 550 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य प्रोफेशनलों के लिए प्रति ट्यक्ति 50 लाख रुपये का बीमा कवर।

आईटी का उपयोग 🗕

- ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन सेवाएं शुरू करना
- क्षमता निर्माण: वर्च्अल लर्निंग मॉड्यूल आईगॉट प्लेटफॉर्म
- आरोग्य सेतुः स्व आकलन और संपर्क में आए लोगों का पता लगाना

स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण -

- महामारी रोग अधिनियम में संशोधन
- पीपीई के लिए पर्याप्त व्यवस्था –
- शून्य से बढ़कर अब 300 से भी अधिक घरेलू निर्माता
- पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है पीपीई (51 लाख), एन95 मास्क (87 लाख), एचसीक्यू टैबलेट (11.08 करोड़)



'कारोबार में सुगमता' के लिए गवर्नेंस में सुधार

- विश्व स्तर पर, संभावित निवेशक किसी भी देश की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) रैंकिंग' को ध्यान में रखते हैं
- निरंतर ठोस उपायों के परिणामस्वरूप विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर कर वर्ष 2014 के निचले 142वें पायदान से छलांग लगाकर वर्ष 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया है।
- इनमें परिमट देने एवं मंजूरी, स्व-प्रमाणन और थर्ड पार्टी द्वारा प्रमाणीकरण जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाना, इत्यादि शामिल हैं।
- सरकार 'कारोबार में सुगमता' संबंधी सुधारों के अगले चरण में मिशन मोड पर काम कर रही है जो संपत्ति के आसान पंजीकरण, वाणिज्यिक विवादों को तेजी से निपटाने और सरल कर व्यवस्था से संबंधित सुधार होंगे, ताकि कारोबार करने की दृष्टि से सबसे सुगम देशों में भारत भी शुमार हो जाए।



'कारोबार में सुगमता' के उपायों को बढ़ावा देने के लिए कॉरपॉरेट कानून से संबंधित हाल के कदम

- वर्ष 2018 में कंपनी कानून से संबंधित कई डिफॉल्ट (चूक) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के पहले चरण में 16 कंपाउंडेबल अपराधों को एक आंतरिक अधिनिर्णय और दंड व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया गया।
- एकीकृत वेब आधारित निगमन फॉर्म 'इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के गठन का सरलीकृत प्रारूप प्लस (स्पाइस+)' को पेश किया गया, जो केवल एक ही फॉर्म के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और एक राज्य सरकार की 10 सेवाओं को समाहित करता है।
- स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक लॉन्च किया गया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 14,000 से भी अधिक अभियोगों की वापस लिया गया।



'कारोबार में सुगमता' के लिए कॉरपोरेट कानून से संबंधित हाल के कदम

- 'संबंधित पार्टी से लेन-देन' से जुड़े प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया।
- कोविड-19 के दौरान समय पर उठाए गए ठोस कदम से कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुपालन का बोझ कम होगा और इसके साथ ही कंपनियां डिजिटल इंडिया की क्षमता का उपयोग कर अपने बोर्ड की बैठकों, ईजीएम एवं एजीएम और राइट्स इश्यू का संचालन कर सकती हैं।
- आईबीसी, 2016 की शुरुआत से लेकर अब तक सुलझाए गए 221 मामलों में 44% रिकवरी हासिल की गई है।
- दाखिल किए गए दावे क्ल 4.13 लाख करोड़ रुपये के हैं।
- वसूली जाने वाली राशि 1.84 लाख करोड़ रुपये है।
- आईबीसी के तहत, कुल 5.01 लाख करोड़ रुपये (लगभग) की राशि वाले 13,566 मामलों को आईबीसी के प्रावधानों के तहत दाखिल करने से पहले ही 29 फरवरी 2020 तक वापस ले लिया गया है।



प्रौद्योगिकी चालित प्रणाली- कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा

- जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन्हें सहयोग और उन तक पहुंच के लिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल की सुविधा। विद्यालयी शिक्षा के लिए 3 चैनल पहले से परिचालन में हैं; अब अन्य 12 चैनल जोड़े जाने हैं।
- इन चैनलों पर स्काइप के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ परस्पर लाइव संवादात्मक सत्रों के प्रसारण का प्रावधान किया गया है।
- इन चैनलों की पहुंच बढ़ाने और शैक्षणिक वीडियो सामग्री के प्रसारण के लिए टाटा स्काई तथा एयरटेल जैसी निजी डीटीएच कंपनियों से भी समझौता किया गया है।
- स्वयं प्रभा चैनलों पर भारतीय राज्यों की शिक्षा संबंधी शैक्षणिक सामग्री के प्रसारण के लिए एयर टाइम (प्रति दिन 4 घंटे) साझा करने के लिए समन्वय कायम करना।
- 24 मार्च से अभी तक दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 61 करोड़ हिट्स आए हैं।
- ई-पाठशाला के साथ 200 नई पुस्तकें जोड़ी गई हैं।



सरकारी सुधार और सक्षम बनाने को उठाए गए कदम





रोजगार को प्रोत्साहन देने को मनरेगा के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

- मनरेगा के अंतर्गत सरकार अब 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन करेगी
- इससे कुल 300 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा करने में सहायता मिलेगी।
- मानस्न सत्र में प्रवासी कामगारों की वापसी सहित ज्यादा काम की जरूरत का समधान
- बड़ी संख्या में टिकाऊ और जल संरक्षण संपदाओं सहित आजीविका संपदाएं तैयार करना
- ज्यादा उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा।



स्वास्थ्य सुधार और पहल

सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश में बढ़ोतरी-

- स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की जाएगी।
- जमीनी स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश
 - ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण (वेलनेस) केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी

भविष्य में होने वाली किसी भी महामारी के लिए भारत को तैयार करना

- संक्रामक बीमारी अस्पताल ब्लॉक- सभी जिलों में
- प्रयोगशाला नेटवर्क और निगरानी को मजबूत बनाना-
 - महामारियों के प्रबंधन के लिए सभी जिला और विकासखंड स्तर की प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रयोगशाला।
- शोध को प्रोत्साहन- आईसीएमआर द्वारा स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थागत प्लेटफॉर्म
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन : राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का कार्यान्वयन



कोविड के बाद समानता के साथ प्रौद्योगिकी चालित शिक्षा

- पीएम ईविद्या- डिजिटल/ ऑनलाइन शिक्षा की बहु- माध्यम पहुंच के लिए एक कार्यक्रम तुरत शुरू किया जाएगा, जिसकी निम्निसिखत विशेषताएं होंगी :
 - राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा के लिए दीक्षा : सभी ग्रेड (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए ई-कंटेंट और क्यूआर कोड आधारित पुस्तकें
 - कक्षा 1 से **12** (**एक कक्षा, एक चैनल**) तक के लिए प्रति कक्षा एक टीवी चैनल होगा
 - रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग
 - नेत्रहीन और सुनने में अक्षम लोगों के लिए विशेष ई-कंटेंट।
 - शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई, 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की अनुमित दी जाएगी।
- मनोदर्पण- मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक समर्थन की एक पहल तत्काल शुरू की जाएगी।
- विद्यालय, छोटे बच्चों और शिक्षकों के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे की पेशकश की जाएगी : वैश्विक और 21वीं सदी की कौशल जरूरतों के साथ एकीकरण
- 2025 तक ग्रेड 5 में प्रत्येक बच्चे के सीखने का स्तर और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन को दिसंबर 2020 तक शुरू किया जाएगा।



आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से कारोबार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में वृद्धि की गई



- दिवालियापन की कार्यवाही शुरु करने की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई। (1 लाख रुपये से, जो मोटे तौर पर एमएसएमई का बचाव करता है)
- संहिता की धारा 240ए के तहत **एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला संकल्प प्रारूप** जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
- महामारी की स्थिति को देखते हुए एक साल तक दिवालियापन की कोई भी नई कार्यवाही शुरु नहीं की जाएगी।
- कोविड-19 से संबंधित कर्ज को संहिता के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरु करने के उद्देश्य से ''डिफाल्ट या चूक' 'की परिभाषा से बाहर रखने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा।

कंपनी कानून में चूक अपराध की श्रेणी से बाहर



- कंपनी कान्न की माम्ली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। (सीएसआर रिपोर्टिंग में कमियां, बोर्ड रिपोर्ट, बकाया चुकाने में अपर्याप्तता, एजीएम आयोजित करने में विलम्ब)
- अधिकांश समझौता करने योग्य (कंपाउंडेबल) अपराधों की धाराओं को आंतरिक स्थगन तंत्र (आईएएम) में परिवर्तित किया जाएगा और कंपाउंडिंग के लिए आरडीकी शक्तियों को बढ़ाया जाएगा (पहले की 18 धाराओं की तुलना में अब 58 धाराओं को आईएएमके तहत निपटाया जाएगा)।
- ये संशोधन आपराधिक अदालतों और एनसीएलटीकी बाधाएं दूर करेंगे।
- 7 कंपाउंडेबल अपराधों को पूरी तरह से हटाया गया और 5 को वैकल्पिक ढांचे के तहत निपटाया जाएगा

कम्पनियों के लिए कारोबार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

- 'कारोबार शुरू करने' और 'दिवालियापन संकल्प 'में रैंकिंग में सुधार ने ईओडीबी पर भारत की रैंकिंग में समग्र सुधार में योगदान दिया है।
- अन्य **प्रमुख सुधारों** में शामिल हैं
 - स्वीकृत विदेशी बाजारों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष सूचीबद्ध होना।
 - निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों पर एनसीडी सूचीबद्ध हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 9 ए (निर्माता कंपनियों) के प्रावधानों को शामिल करना।
 - एनसीएलएटी के लिए अतिरिक्त / विशेष पीठ सृजित करने की शक्ति।
 - छोटी कंपनियों, एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनियों, निर्माता कंपनियों और स्टार्ट अप के लिए सभी चूक के लिए कम दंड।



नये आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीति



- पिछले कुछ दशकों में भारत और विश्व में बदलाव आया है।
- एक नई सुसंगत नीति की आवश्यकता जहां सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुले हों, जबिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) निर्धारित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
- इस कारण से सरकार एक नई नीति की घोषणा करेगी जिसके द्वारा
 - सार्वजनिक हित में पीएसई की अपेक्षा रखने वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी।
 - सामरिक क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजिनक क्षेत्र में रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी इजाजत दी जाएगी।
 - अन्य क्षेत्रों में, पीएसई का निजीकरण किया जाएगा (समय का निर्धारण व्यवहार्यता पर आधारित होगा।)
 - अनावश्यक प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए, सामरिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या आमतौर पर केवल एक से चार होगी; अन्य का निजीकरण/विलय कर दिया जाएगा/ होल्डिंग कम्पनियों के अंतर्गत लाया जाएगा।

राज्य सरकारों को दी जा चुकी सहायता



- राज्यों की तरह, केन्द्र को भी राजस्व में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- इसके बावजूद केन्द्र ने आवश्यकता की इस घड़ी में राज्यों को उदारता से सहायता प्रदान की है।
 - अप्रैल में कर अंतरण (46,038 करोड़ रुपये) पूर्ण रूप से दिया गया मानो बजट अनुमान प्रामाणिक थे, भले ही वास्तविक राजस्व बजट अनुमानों से अप्रत्याशित गिरावट दर्शाता है।
 - केन्द्र के आशंकित संसाधनों के बावजूद, अप्रैल और मई में राज्यों को समय पर राजस्व घाटा अनुदान (12,390 करोड़ रुपये) दिया गया।
 - अप्रैल के पहले सप्ताह में एसडीआरएफ (11,092 करोड़ रूपये) कोष निश्चित समय से पूर्व जारी किया गया।
 - प्रत्यक्ष कोविड-रोधी कार्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से 4,113 करोड़ रुपये जारी किए गए।
 - केन्द्र के अनुरोध पर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ाया
 - राज्यों के लिए अल्पकालिक अर्थोपाय (वेज एंड मीन्स एडवांसेस) की सीमा पिछले वर्ष के स्तर से 60% बढ़ा दी गई
 - राज्य 14 दिन से 21 दिन तक लगातार ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ ले सकते हैं
 - राज्य एक तिमाही में 32 से 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट की स्विधा ले सकते हैं

राज्य सरकारों को सहायता



- वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की शुद्ध उधार की अंतिम सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपये है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% पर आधारित है।
- उसका 75% उनके लिए मार्च 2020 में अधिकृत कर दिया गया और समय का निर्धारण राज्यों पर छोड़ दिया गया।
- राज्यों ने अब तक उधार की अधिकृत सीमा का केवल 14% उधार लिया है। अधिकृत उधार का 86% उपयोग में नहीं लाया जाता।
- इसके बावजूद, राज्य उधार में विशेष वृद्धि की मांग करते हुए उसे 3% से बढ़ाकर 5% करने की बात कर रहे थे।
- अभ्तपूर्व स्थिति को देखते हुए, केन्द्र ने उनके अनुरोध को मानने का फैसला किया और केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई।
- इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।

राज्य सरकारों का समर्थन करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना



- इस उधार का हिस्सा कुछ विशिष्ट सुधारों से जोड़ा जाएगा (वित्त आयोग की सिफारिशों सहित) जिसमें:
 - भविष्य के ऊंचे जीएसडीपी विकास और कम घाटों के माध्यम से अतिरिक्त ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी;
 - प्रवासियों के कल्याण को बढ़ावा देना और खाद्य वितरण में रिसाव को कम करना होगा,
 - निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन में वृद्धि
 - बिजली क्षेत्र को टिकाऊ बनाते हुए किसानों के हितों की रक्षा करना, और
 - शहरी विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा
- सुधार से जुड़ाव इन चार क्षेत्रों में होगा: 'एक देश एक राशन कार्ड' का सार्वभौमिकरण, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ऊर्जा वितरण और शहरी स्थानीय निकाय राजस्व
- एक विशिष्ट योजना, व्यय विभाग द्वारा निम्निलिखित पैटर्न पर अधिसूचित की जाएगी:
 - 0.50 प्रतिशत की बिना शर्त वृद्धि
 - 0.25 प्रतिशत के 4 हिस्सों में 1 प्रतिशत, जिसमें प्रत्येक हिस्सा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट, मापने योग्य और व्यवहार्य सुधार कार्यों से जुड़ा हुआ हो
 - आगे 0.50 प्रतिशत और, अगर चार में से कम से कम तीन सुधार क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर लीजाएं



पहले के उपायों से प्रोत्साहन

क्र.सं.	उपाय	रुपये करोड़ में
1.	मार्च 22, 2020 से कर रियायतों के कारण खोया राजस्व	7,800
2.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)	1,70,000
3.	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा	15,000
	कुल	1,92,800

भाग-1 में घोषणाओं द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन



SN	मद	(रुपये करोड़ में)
1	कारोबारों के लिए कार्यशील पूंजी की आपात सुविधा, एमएसएमई सहित	3,00,000
2	तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण	
		20,000
3	एमएसएमई के लिए निधियों का कोष	50,000
4.	व्यापारों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ समर्थन	2800
5.	ईपीएफ दरों में कमी	6750
6.	एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए विशेष तरलता योजना	30,000
7.	एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0	45,000
8.	डिस्कॉमों के लिए लिए तरलता प्रवाह	90,000
9.	टीडीएस / टीसीएस दरों में कमी	50,000
	कुल	5,94,550

भाग-2 में घोषणाओं द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन



क्र.सं.	मद	(रुपये करोड़ में)
1.	2 महीने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति	3500
2.	मुद्रा शिशु ऋण के लिए ब्याज अनुदान	1500
3	सड़क विक्रेताओं को विशेष ऋण सुविधा	5000
4	आवास सीएलएसएस-एमआईजी	70,000
5	नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी	30,000
6	केसीसी के माध्यम से अतिरिक्त ऋण	2,00,000
	कुल	3,10,000

भाग-3 में घोषणाओं द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन



क्र.सं.	मद	(रुपये करोड़ में)
1.	खाद्य सूक्ष्म उद्यम	
		10,000
2.	प्रधानमंत्री मतस्य सम्पदा योजना	
		20,000
3.	टॉप टू टोटल : ऑपरेशन ग्रीन्स	500
4.	एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड	1,00,000
5.	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	15,000
6	हर्बल खेती को बढ़ावा	4,000
7	मधुमक्खी पालन की पहल	500
	कुल	1,50,000



भाग-4 और 5 में घोषणाओं द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन

क्र.सं.	मद	(रुपये करोड़ में)
1	व्यवहार्यता गैप फंडिंग	8,100
	अतिरिक्त मनरेगा आवंटन	40,000
	कुल	48,100

आत्मनिर्भर भारत पैकेज द्वारा प्रदान किया गया कुल प्रोत्साहन



क्र.सं.	मद			(रुपये करोड़ में)
1	भाग 1			5,94,550
2	भाग 2			3,10,000
3	भाग 3			1,50,000
4	भाग 4 और 5			48,100
			कुल	11,02,650
5	पीएमजीकेपी सहित पूर्व के उपाय	(पिछली स्लाइड)		1,92,800
6	आरबीआई के उपाय (वास्तविक)			8,01,603
	1	'	कुल	9,94,403
			कुल जोड़	20,97,053



धन्यवाद्